न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या 06/2021 (GCMS 2021/203)

1. चुन्नीलाल रतवाया पुत्र स्व. नानकराम रतवाया आयु करीब 77 वर्ष निवासी दुर्गा मन्दिर के सामने, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर
2. आनन्दी देवी पत्नी चुन्नीलाल रतवाया आयु करीब 75 वर्ष निवासी दुर्गा मन्दिर के सामने, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर — **अपीलांटस**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र चुन्नीलाल रतवाया निवासी दुर्गा मन्दिर के सामने, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर
2. ऊषा रानी पत्नी विजय कुमार निवासी दुर्गा मन्दिर के सामने, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर
3. गगन पुत्र चुन्नीलाल रतवाया निवासी दुर्गा मन्दिर के सामने, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर
4. वीना कुमार पत्नी गगन निवासी दुर्गा मन्दिर के सामने, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर
5. ललित कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी दुर्गा मन्दिर के सामने, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर — **रेस्पोडेंटस**

18.05.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चुन्नीलाल एवं रेस्पोडेंट संख्या 01– विजय कुमार, रेस्पोडेंट संख्या 3– गगन एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 – ललित कुमार उपस्थित हुए थे। उपभयपक्ष की बहस पूर्व में दिनांक 04.05.2022 सुनी जा चुकी है। अपीलार्थी संख्या 2 आनन्दी देवी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2– उषा रानी एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 – वीना कुमार उपस्थित नहीं हुई।

अपीलार्थी श्री चुन्नीलाल ने कथन किया कि अपीलांटस ने रेस्पाडेंटस के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में धारा 21 व 23 का इस कथन के साथ पेश किया कि प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है, प्रार्थी संख्या 1 के आधार कार्ड की प्रति [illegible] प्रार्थी संख्या 1 ने बाल संसार कन्या विद्यालय खोल[illegible]रजिस्ट्रार संस्थाएं राजस्थान, जयपुर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं[illegible]या 107/1964–65 जारी करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

हुआ है तथा **इस विद्यालय के लिए नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन किया ,जिस पर नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा क्रमांक 2343/23.04.70 के उपशासन सचिव, स्वावयत शासन विभाग के पत्र दिनांक 21.03.70 के द्वारा दुर्गा मन्दिर के सामने स्थित मुखर्जी नगर की भूमि 100 गुणा 70 फीट 99 साल लीज पर उपलब्ध करवाई गई**। इस पर उपरोक्त 100 गुणा 70 फीट में ग्राउण्ड फ्लोर पर 14 कमरे अपनी लागत से निर्माण करवाये तथा पश्चिम भाग में खुलती हुई कुछ दुकानों का भी निर्माण करवाय गया, इस भवान को बाल संसार कन्या विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अप्रार्थी 1 व 3 प्रार्थी के सगे पुत्र है तथा 2 व 4 प्रार्थी की पुत्रवधुएं है तथा अप्रार्थी संख्या 5 प्रार्थी का सगा पौता है। प्रार्थी के पुत्रों पुत्रवधुओं के इस आग्रह पर कि हमे रहने के लिए मकान बनवाकर दिया जावे हम ता जिन्दगी प्रार्थीयान की सेवा सुश्रा देखभाल करते रहेगें। प्रार्थी संख्या 1 ने अपनी लागत से उपरोक्त भवन में प्रथम मंजिल पर 7 कमरे बनवाये जिनमें से एक कमरा प्रार्थी के पास है तथा शेष 6 कमरे इनके साथ बरामदे, लैटरिन, बाथरूम (पूर्ण पोरशन के रूप में) अप्रार्थीयान के पास है, अप्रार्थी संख्या 1 ने यह विश्वास दिलाया कि वह तथा उसका परिवार जीवन भर प्रार्थीयान की सेवा देखभाल आदि करते रहेगें, इस विश्वास पर प्रार्थी ने चक 1 डी बड़ी मौजा ओड़की तहसील श्रीगंगानगर में विजय कुमार को 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि भी क्रय करके दी तथा उपरोक्त भवन में बनी दुकानों में से दुकान नं. 10 दक्षिण पश्चिम खुलती हई कोने की एक दुकान भी यह विश्वास दिलाने के कारण प्रार्थी की सेवा की जायेगी, अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना ताला लगा रखा है। अप्रार्थी संख्या 5 श्रीगंगानगर में अधिवक्ता के रूप में जाना जता है जो कि बहुत की [illegible] चालाक व्यक्ति है, सन् 2015 में अप्रार्थीयान ने सेवा [illegible] उपरोक्त भवन में बने प्रथम मंजिल के 7 कमरों में से 6 कमरे [illegible] बाथरूम निवास के लिए लिये तथा इसके कुछ समय पश्चात की प्रार्थी [illegible] साथ बुरा व्यवहार करने लगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कई बार झगड़ा फसाद किया, मारपीट की गई, गाली गलौच की गई, इस सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा समय समय पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी लिखित में भी आवेदन पत्र दिये जाते रहे मगर बार बार पुलिस द्वारा भी समझाने का प्रयास करने पर भी अप्रार्थीगण के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया तथा आज तक झगड़ा फसाद करते आ रहे है। इस सम्बन्ध में दिनांक 23.06.2021 को प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा थाना पुलिस कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल शामिल है, एसपी साहब, श्रीगंगानगर को भी प्रार्थनापत्र पेश किये। अप्रार्थीगण द्वारा झूठे मुकदमे में फसाने के लिए प्रार्थीगण की बिना सहमति से फोटोग्राफ्स भी मोबाईल द्वारा लिये गये है। **प्रार्थीगण दोनो वरिष्ठ नागरिकों की यह हालत हो गई है कि खाना बनाना व शांतिपूर्वक इस बुढापे में जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया है, इस समय उनको अप्रार्थीगण द्वारा झगड़ा फसाद करने व जानमाल का नुकसान पहुंचाने का भी अनदेशा बना रहता है।**

उनका आगे कथन था कि धारा 21 के प्रावधान इसी कारण बनाये गये है कि वरिष्ठ नागरिकों के शरीर व सम्पत्ति का संरक्षण प्रदान किया जा सके मगर ना तो अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 21 के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया ना ही कोई विवेचन कर फाईन्डिंग दी है।

अपीलार्थी का आगे कथन था कि वह वरिष्ठ नागरिक है तथा उसकी जवाबदेही संस्था के प्रति भी है व अपीलांट संख्या 1 संस्था की ओर से हर प्रकार से अधिकृत भी है इसलिए रेस्पोडेंट किसी प्रकार से उपरोक्त सम्पत्ति पर कानूनन भी काबिज रहने का अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 3— गगान के खिलाफ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के खिलाफ धारा 107,116(3) सीआरपीसी का एक मुकदमा किया गया था, जिसमें गगन को पाबन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि विवादित सम्पत्ति अपीलांट संख्या 1 ने ही अपनी लागत से रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम खरीद की है, इसलिए अपीलांट संख्या 1 ही विवादित सम्पत्ति का मालिक व हकदार है तथा सम्पत्ति के दस्तावेज धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार शून्य घोषित करने आवश्यक है। रेस्पोडेंट संख्या 1 वर्ष 2006 से पूर्व कोई कार्य नहीं करता था तथा उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में भी कोई दस्तावेज बैंक पासबुक व आय के साधन के बारे में रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर उसकी अपील स्वीकार की जाकर कर उसे अनुतोष प्रदान करना न्यायहित में आवश्यक है।

इसके विपरित रेस्पोडेंट संख्या 1— विजय कुमार ने कथन किया कि अपीलार्थी जिस सम्पत्ति अर्थात बाल संसासर कन्या विद्यालय, दुर्गा मन्दिर के सामने निर्मित भवन को खाली करवाने के लिए हस्तगत अपील पेश की है। उसी के सम्बन्ध में बाल संसार कन्य विद्यालय समिति (दुर्गा मन्दिर के सामने मुकर्जी नगर) अध्यक्ष द्वारा नोटिस क्रमाक 102 दिनांकित 10.06.2021 उसे प्रेषित किया गया है यह स्थिति विरोधाभासी है क्योंकि एक तरफ **अपीलार्थी स्वयं को उक्त सम्पत्ति का मालिक होना अभिकथित कर उक्त सम्पत्ति को खाली करवाना चाह रहा है दूसरी ओर बाल संसार कन्या विद्यालय समिति अध्यक्ष द्वारा प्रोपर्टी समिति की होना अभिकथित कर खाली करवाने की कार्यवाही की जा रही है।** उक्त सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी कौन है जो कि घोषित करने में केवल माल सिविल न्यायालय सक्षम है। अपीलार्थी स्वयं [illegible] के कारण माननीय अपील अधिकरण से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 का आगे कथन था कि दुर्गा मंदिर के सामने स्थित मुकर्जी नगर की 100 गुणा 70 फीट भूमि नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा बाल संसार कन्य विद्यालय, खोलने व चलाने के लिए आवंटित की

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

गई थी जो कि अपीलार्थी की निजी सम्पत्ति नहीं हैं यह एक समिति/ट्रस्ट की भूमि है जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसका परिवार पिछले 32 वर्ष से रिहायश कर रहे है। उक्त सम्पत्ति प्रत्यर्थी संख्या 1 को किसी भी शर्त के अधीन नहीं दी गई है।

अप्रार्थी संख्या 1 का आगे कथन था कि जो कार्य विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती नही दी जा सकती, उसे परोक्ष रूप में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, चूकि **वर्णित मकान नं. 8 द्वितीय ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सागरमल से खरीद किया गया था जो विजय कुमार की स्वःअर्जित सम्पत्ति है** प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मकान खरीदने के समय अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके परिवार के मध्य आपसी सामंजस्य था जिसके चलते प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने मकान के कागजात अपने पिता अपीलार्थी संख्या 1 को सम्भलवा दिये थे परंतु कुछ समय पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के भड़काने पर अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके परिवार से रंजिश रखने लगे व प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसके मकान के कागजात बार—बार मांगने पर नहीं लौटाये चूंकि उक्त मकान प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा स्वयं के नाम से खरीद किया हुआ है इसलिए उक्त मकान के कागजात प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा चोरी से उठाकर ले जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। 20 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अपीलार्थी कानून की आड़ में अनुतोष चाहने के लिए आज मुद्दा उठा रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने आगे कथन किया कि कृषि भूमि चक 1 बी बड़ी, श्रीगंगानगर का वास्तविक कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 1 विजय कुमार के पास है और यह कृषि भूमि अपनी [illegible] आय से क्रय कर दिनांक 10.05.2006 को रजिस्टर्ड बैनामा करवाया गया। जिसका कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास वर्ष 2006 से निरंतर कब्जा में है जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड/इंतकाल अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 अपीलार्थी की समस्त सम्पत्ति हड़प करना चाहते है जिस लिए उनके द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके परिवार के प्रति भड़काया जाता है। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के प्रभाव में है तथा अपीलार्थी ने अपने पुत्र गगन व उसकी पत्नी मीना से षडयंत्र रचकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके परिवार पर अनुचित दबाव बनाया जा सके व न्यायालय से सहानुभूतिपूर्वक अनुचित अनुतोष प्राप्त कर सके। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पुत्र के साथ मारपीट करने के संबंध में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0176/2021 पुलिस थाना, कोतवाली , श्रीगंगानगर में दर्ज है, जो विचाराधीन है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने अपील खारिज करने की प्रार्थना की है। **अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अपनी उक्त बहस के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के क्रिमिनल अपील नं 312/1971 अनवानी बरादकांत मिश्रा बनाम भीमसेन दीक्षित में पारित निर्णय दिनांक 29.09.1972 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की एसबी सिविल रिट पैटीशन संख्या 1936/2022 अनवानी विनोद शर्मा बनाम शान्ति देवी वगै निर्णय दिनांक 21.02.2022 की प्रति एवं ग्राम 1 डी बडी, पटवार हल्का ओड़की के नामान्रण संख्या 283 की प्रति आदि पेश** की है।

अप्रार्थी संख्या 3 ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध असत्य व निराधार तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की गई है । अपीलांट अत्यधिक सम्पत्ति का मालिक है व भिन्न आय स्त्रोतों से भरपूर आय प्राप्त करता है और साधन सम्पन्न व्यक्ति है। अपीलांट संख्या 1 एक राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का [illegible] क्षेत्र का वरिष्ठ नेता हैं

उनका आगे क[illegible] की संयुक्त सम्पत्ति है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या [illegible] संयुक्त पूंजी व संयुक्त आय से निर्माण कार्य करवाया हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेंटस को बार बार डांट, फटकार व टोका–टोकी की जाती है, लेकिन वृद्ध माता पिता व मान सम्मान मर्यादा में रहते हुए रेस्पोडेण्ट किसी प्रकार का विरोध नहीं करते है और चुपचाप सब कुछ सहन करते है

उनका आगे यह भी कथन था कि उसके विरूद्ध झूठा, असत्य व दबाव बनाने के लिए एडीएम सिटी, श्रीगंगानगर के समक्ष मुकद्दमा संख्या 54/2021 अन्तर्गत धारा 1067, 166 (3) सीआरपीसी का पेश किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार सारहीन व रेस्पोडेंट को तक व परेशान करने के लिए की गई है जो स्वयं खारिज करने योग्य है।

उनका आगे कथन था कि अपीलांट का पुत्र पवन, दर्शना पत्नी पवन, एवं पूजा पुत्री पवन के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, श्रीगंगानगर में रेस्पडेंट संख्या 4 मीना रतवाया के द्वारा दर्ज 323 आईपीसी के तहत मुकदमा में दिनांक 07.09.2020 को प्रसंज्ञान लिया गया और अपीलांट चुन्नीलाल रतवाया के साथ पवन कुमार सांठ–गांठ पूर्ण रहता है रेस्पोडेंट संख्या 4 पर दबाव बनाने के लिए कि प्रसंज्ञान वाला मुकदमा पवन व पूजा के विरूद्ध वापिस लेने की धमकी दी गई।

अप्रार्थी संख्या 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रार्थी को तंग व परेशान करने की नीतय से गलत तौर पर पक्षकार बनाया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उसके साथ मारपीट की गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0176/2021 पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में अंतर्गत धारा 323, 341, 34 आईपीसी में दर्ज है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा मुझ उत्तरदाता प्रत्यर्थी संख्या 5 के साथ दिनांक 23.06.2021 को की गई मारपीट बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के उपरांत ही अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 पर अनुचित दबाव बनाने के आशय से हस्तगत प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मेरे और मेरे परिवार के विरूद्ध विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर दर्ज करवाया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं है इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी संख्या 2 – उषा रानी ने दिनांक 02.03.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2(क) में पुत्रवधु बालक शब्द की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 को गलत व अनुचित तौर पर पक्षकार बनाया गया है, जिसे हटाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन किया था कि अप्रार्थीयान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए **दुर्गा मन्दिर, विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर के सामने स्थित बाल संसार कन्या विद्यालय के भवन की प्रथम मंजिल पर बने 6 कमरे, लैंटरिन, बाथरूम, रसोई आदि तथा ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दुकान नं. 10 दक्षिण पश्चिम में खुलती हुई एवं सागरमल से खरीद किये गये मकान नं. 8, द्वितीय ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के समस्त कागजात तथा चक 1 डी बड़ी की कृषि भूमि 10 बीघा 6 बिस्वा का कब्जा मय कागजात पुलिस की सहायता से अप्रार्थीयान से प्रार्थी को दिलाने तथा उपरोक्त भूमि के संबंध** [illegible] **दस्तावेज** [illegible] **घोषित करने की प्रार्थना की थी** जिस पर **उपखण्ड** [illegible] **दिनांक 20.10.2021 को निर्णय पारित निम्नानुसार** [illegible] **किया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य रजिस्ट्रीकरण प्रकरण पत्र दिनांक 19.04.1975 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि "बाल संसार कन्य विद्यालय समिति श्रीगंगानगर एक रजिस्ट्रीकृत संस्था है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थी इस संस्था का सदस्य होना प्रकट होता है। प्रार्थी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि वह उक्त संस्था का सदस्य है तथा श्री कुलविन्द्र सिंह बराड़ संस्था के अध्यक्ष है। **विवादित सम्पत्ति इस संस्था की सम्पत्ति है जबकि प्रकरण हाजा में प्रार्थी द्वारा इसे निजी सम्पत्ति मानते हुए अनुतोष चाहा गया है साथ ही प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर स्वयं के खर्चे से कमरों का निर्माण कराना बताया है परन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज जमीन से अनुतोष चाहा गया है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरण संख्या 283 चक 1 डी बड़ी पटवार हल्का ओड़की की प्रति से यह जमीन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 10.05.2006 से स्वयं द्वारा खरीदशुदा होना प्रकट होता है। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को दिये गये ब्यान की प्रति उपलब्ध है जिसके तहत विवादित सम्पत्ति के संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि पत्रावली पर इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही हैं** प्रार्थी व अप्रार्थीगण के [illegible] थाना कोतवाली में एफआईआर संख्या [illegible]/2021 [illegible] धारा 323, 341,34 आईपीसी दर्ज हुई [illegible] अनुसंधानाधीन है। अधिनियम की धारा 23 के अनुसार यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी सम्पत्ति का दान के रूप में या अन्तरण इस शर्त के अधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

रहते हुए किया है कि अन्तरिति, अन्तरक को बुनियादी सुख सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख सुविधाओं तथा भौतिक आवश्कताएं प्रदान करने से इंकार करेगा या असफल रहेगा तो सम्पत्ति का उक्त अंतरण कपट या पीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और **अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उपरोक्तानुसार किसी शर्त के अधीन कोई सम्पत्ति का अन्तरण किया गया है** साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में अप्रार्थी संख्या 1 पर दस्तावेजात की चोरी करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में कोई भी जांच या अनुतोष इस विभाग द्वारा बाद अनुसंधान ही संभव है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद के संबंध में दर्ज एफआईआर संख्या 176/2021 अन्तर्गत धारा 323, 341, 34 आईपीसी में त्वरित अनुसंधार करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 20.10.2021 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
>
> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार **पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है** इसलिए उषा रानी अप्रार्थी संख्या 2 –पुत्रवधु एवं अप्रार्थी संख्या 4 – वीना कुमार – पुत्रवधु है इसलिए **अपीलार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 व 4 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 उषा रानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है।**

जहां तक विवादित भूमि चक 1 डी बड़ी पटवार हल्का ओडकी की 10 बीघा 6 बिस्वा का प्रश्न है जो अप्रार्थी संख्या 01 के नाम रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक [illegible] से दर्ज है, जो अपीलार्थीगण ने दिलवाने की प्रार्थना की है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति का अन्तरण भरण पोषण की शर्त के अधीन किया जाता है तो भरण पोषण न करने की सूरत में ऐसा अन्तरण शून्य हो सकता है। जिसके सम्बन्ध में **माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) निम्नानुसार अवलोकनीय है :**

> **23. कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा : (1) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहाँ सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।**

विचाराधीन प्रकरण में उक्त विवादित चक 1 डी बडी पटवार हल्का ओडकी की 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि दिनांक 10.05.2006 को पंजीबद्ध हुई है जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के लागू होने से पहले [illegible] **किसी प्रकार की शर्त के अधीन नहीं हुई है इसलिए** [illegible] **नाम चक 1 डी बडी पटवार हल्का ओड़की** [illegible] **भूमि जो दिनांक 10.05.2006 से रजिस्ट्रीशुदा है, के अन्तरण को शून्य घो**[illegible] **नहीं किया जा सकता।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक अपीलार्थीगण की विवादित दुर्गा मन्दिर के सामने स्थित मुखर्जी नगर की भूमि 100 गुणा 70 फीट का सम्बन्ध है वह **नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश क्रमांक 2343 दिनांक 23.04.1970 को चुन्नीलाल रतवाया, व्यवस्थापक, बाल संसार कन्या विद्यालय, श्रीगंगानगर को शर्तों के आधार पर उक्त स्कूल के लिए दी गई थी** पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजों के आधार पर वर्तमान में **कुलविन्द्र सिह बराड़ उक्त संस्था के अध्यक्ष** है। अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट दोनो ने उक्त सम्पति संस्था की होना स्वीकार किया है। **अपीलार्थीगण उक्त विवादित दुर्गा मन्दिर, श्रीगंगानगर के सामने स्थित बाल संसार कन्या विद्यालय के भवन के प्रथम मंजिल पर बने 6 कमरे लैटरिन, बाथरूम, रसोई आदि तथा ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दुकान नं. 10. दक्षिण पश्चिम में खुलती हुई दिलाने की माग की है**। चूंकि **उक्त सम्पत्ति अपीलार्थीगण की व्यक्तिगत सम्पत्ति न होकर संस्था की सम्पत्ति है तथा संस्था की सम्पत्ति नगर परिषद् द्वारा स्कूल के व्यवस्थापक को स्कूल संचालित करने हेतु 99 साल लीज पर शर्तों के आधार पर दी गई** है जिसकी **शर्त संख्या 6 के अनुसार उक्त भूमि का अन्य व्यक्ति को विक्रय, रहन दान, सीज व हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा**। वर्तमान में विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण ने उक्त विवादित दुर्गा मन्दिर, श्रीगंगानगर के सामने स्थित बाल संसार कन्या विद्यालय के भवन के प्रथम मंजिल पर बने 6 कमेर लैटरिन, बाथरूम, रसोई आदि तथा ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दुकान नं. 10 दक्षिण पश्चिम में खुलती हुई दिलाने की माग की है, जो **माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिए अपीलार्थीगण को उक्त विवादित दुर्गा मन्दिर, श्रीगंगानगर के सामने स्थित बाल संसार कन्या विद्यालय के भवन के प्रथम मंजिल पर बने 6 कमरे लैटरिन, बाथरूम, रसोई आदि तथा ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दुकान नं. 10 दक्षिण पश्चिम में खुलती हुई दिलाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलार्थीगण उक्त विवादित सम्पत्ति हे सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थीगण भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्रो/पोते रेस्पोडेंट विजय कुमार, गगन एवं ललित कुमार से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगा।

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Rial
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। किन्तु अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2021 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है इसलिए **अपीलार्थीगण माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थीगण को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।**

आदेश की प्रति तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 20.10.2021 यथावत् रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर